//कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ (म0प्र0)//

क्रमांक–क्यू/सा0अनु0/2020, झाबुआ, दि0:– 14/04/2020

–::परिपत्र::–

विषयः– कोरोना वायरस कोविड–19 से सुरक्षा एवं रोकथाम तथा लॉकडाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य की व्यवस्था के संबंध में निर्देश।

संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का परिपत्र क्रमांक क्यू–4 जबलपुर दिनांक 14.04.2020

–::00::–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

01. समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने–अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे एवं अपने–अपने मोबाईल नंबर/फोन नंबर निरंतर चालू रखेंगे तथा सूचित किये जाने पर तत्काल कार्य संपादन हेतु आदेशानुसार उपस्थित रहेंगे।

02. दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक झाबुआ जिला में एवं तहसील थांदला एवं पेटलावद के सभी न्यायालय बंद रहेंगे। उक्त अवधि में जिला न्यायाधीश द्वारा नामित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा आदेशित किये गये रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा केवल अतिआवश्यक मामले रिमांड/जमानत आवेदन/अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदनों की सुनवाई एवं निराकरण किया जावेगा।

03. रिमांड के समय अति आवश्यक मामलों की सुनवाई किये जाने से पूर्व उपस्थित न्यायाधीशगण एवं स्टाफ तथा अधिवक्ता एवं आवश्यक पक्षकार केवल मास्क पहनकर ही न्यायालय भवन में प्रवेश करेंगे और अपने हाथ सेनेटाइज करेंगे। अत्यावश्यक मामलों में सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अथवा सोशल डिस्टेसिंग बनाते हुए पूर्व के निर्देशों के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रसारित निर्णय के अनुपालन में की जावेगी।

04. विभिन्न आरक्षी केंद्रों से रिमाण्ड कार्यवाही हेतु/जमानत आवेदन पत्रों में केसडायरी लेकर उपस्थित पुलिस अधिकारी/प्रधान आरक्षक/आरक्षक को ही न्यायालय भवन में प्रवेश दिया जावेगा।

05. समस्त न्यायाधीशगण एवं स्टाफ को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 15.04.2020 से 02.05.2020 तक की अवधि के लिये नियत प्रकरणों में नियत

14.04.2020

की गई आगामी तिथियों की प्रविष्टि सी.आई.एस. पर अपडेट करेंगे व सिस्टम ऑफिसर कम्प्यूटर अनुभाग जिला न्यायालय झाबुआ सर्वर चालू करकर प्रविष्टि दर्ज कराकर एस.एम.एस. संबंधित पक्षकारों को पूर्व के आदेश के पालन में भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे।

06. इस परिपत्र में यदि अन्य किसी विशिष्ट बिन्दु का समावेश होने से रह गया है, तो उसके संबंध में आगामी आदेश तक पूर्व में जारी निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और इस हेतु पूर्व में जारी समस्त परिपत्र व आदेशों के निर्देश यथावत् रहेंगे।

07. माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, निर्देश, परिपत्र एवं ज्ञापन तथा कार्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विविध आदेश, परिपत्र एवं ज्ञापन की सूचना संबंधित जन को तत्काल हो सके, इस दृष्टि से लॉकडाउन की अवधि के लिये ई–मेल आदि के अतिरिक्त माध्यम के रूप में न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण का पृथक–पृथक व्हाट्स–एप ग्रुप का सृजन सिस्टम ऑफिसर के माध्यम से तैयार कराया गया है। इस ग्रुप पर मात्र कार्यालय एवं न्यायालय से संबंधित आदेश, निर्देश, परिपत्र एवं ज्ञापन आदि ही पोस्ट किये जावें एवं कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी संबंधी विवरण पोस्ट किये जावें, अन्य किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या सामाजिक संदेश पोस्ट न किया जावे।

08. लॉकडाउन की अवधि में माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेश, निर्देश, परिपत्र एवं ज्ञापन तथा कार्यालय द्वारा जारी किये जाने वाले विविध आदेश, परिपत्र एवं ज्ञापन की सूचना न्यायिक अधिकारीगण को ई–मेल एवं व्हाट्स–एप ग्रुप के माध्यम से तथा कर्मचारी एवं अन्य संबंधित जन, जिनके ई–मेल आई.डी. नहीं है, को व्हाट्स–एप के माध्यम से सूचित करने हेतु सिस्टम ऑफिसर/असिस्टेण्ट सिस्टम ऑफिसर को आदेशित किया जाता है। लॉकडाउन अवधि हेतु सृजित इस व्हाट्स–एप ग्रुप पर पोस्ट किये गये मैटर को ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों द्वारा पढ़ लिया गया है, यह माना जायेगा।

14.04.2020

(एम.के.शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला झाबुआ (म.प्र.)

पृष्ठाकंन क0—क्यू/सा0अनु0/2020,   झाबुआ, दि0:— 14/04/2020

<u>प्रतिलिपिः—</u>

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय झाबुआ,

3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

4. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग/सिस्टम ऑफिसर की ओर संबंधित ई–मेल किये जाने हेतु प्रेषित।

6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ झाबुआ/थांदला/पेटलावद,

7. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ म.प्र.,

8. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. शासकीय अभिभाषक/जिला अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल म.प्र. की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

11. प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय झाबुआ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त परिपत्र में से निर्देशों की जानकारी व्हाट्स–एप या अन्य माध्यम से न्यायिक जिला झाबुआ के समक्ष तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को सूचना करें।

14.04.2020

(एम.के.शर्मा)
प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला झाबुआ (म.प्र.)